

प्रेषक,

श्री आर० एन० सिन्हा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोएडा/बीडा
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1,

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 1990

विषय:- मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं स्थायी अधिवक्ता, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक की
आवृद्धता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक न्याय (विधि मंत्रणा) अनुभाग के शासनादेश संख्या-डी०-3672/सात-वि०म०-89, दिनांक 6 नवम्बर, 1989 की
प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

[आर० एन० सिन्हा]

अनु सचिव।

संख्या-1939 / चौ०-1/1-85 टी०सी०/89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- (1) संयुक्त सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन को उनके पृष्ठांकन संख्या डी०-3672 (1)/सात-वि०म०-89 दि० 6
नवम्बर, 1989 के संदर्भ में।
- (2) उपक्रमों/निगमों से संबंधित शासन के सचिव/विशेष सचिव
- (3) संबंधित प्रशासकीय अनुभाग।
- (4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र० जवाहर भवन।

आज्ञा से,

[आर० एन० सिन्हा]

अनु सचिव।